# कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

तीसरी-चौथी मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3 सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली -110016

निविदा सूचना सं.: APEDA-CRL/22/2024-

CD

दिनांक: 14 अक्टूबर, 2024

# वर्ष 2024-25 हेतु टैरिफ दर कोटा (टी.आर.क्यू.) योजना के अंतर्गत यूरोपीय संघ (ई.यू.) को चीनी का निर्यात

# (अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025)

सार्वजिनक सूचना सं. 25/2024-2025, दिनांक 27 सितम्बर, 2024 के अनुसार, वर्ष 2024-25 (अक्टूबर, 2024 से सितम्बर , 2025) के लिए यूरोपीय संघ (ई.यू.) को टैरिफ दर कोटा (टी.आर.क्यू.) के अंतर्गत चीनी के 5841 MT की शेष मात्रा का आवंटन किया गया था। वर्ष 2024-25 के लिए टैरिफ दर कोटा (टी.आर.क्यू.) के अंतर्गत यूरोपीय संघ (ई.यू.) को चीनी के निर्यात हेतु विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी.जी.एफ.टी.), वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं. 3/2015-20 दिनांक 20/04/2015 और अधिसूचना सं. 20/2015-20 दिनांक 7/09/2015 के माध्यम से अधिसूचित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करने की अनुमित नीचे दी गई शर्तों के अधीन है:

- यह कोटा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) , नई दिल्ली दवारा संचालित किया जाएगा।
- II. यूरोपीय संघ (ई.यू.) को चीनी के अधिमान्य निर्यात के लिए मूल प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो तो , विदेशी व्यापार के अतिरिक्त महानिदेशक , मुंबई द्वारा एपीडा की अनुशंसा पर जारी किया जाएगा , जिसके लिए पात्रता इकाई और मात्रा निर्धारित की गई है। यूरोपीय संघ (ई.यू.) को चीनी के निर्यात के लिए विशेष रूप से निर्धारित अन्य प्रमाणन आवश्यकताओं, यदि कोई हो, का पालन किया जाना जारी रहेगा।
- III. निर्यातकों को एपीडा , नई दिल्ली को वास्तविक निर्यात (अर्थात मात्रा , मूल्य, गंतव्य, विदेशी खरीदारों आदि का नाम और पता) का विवरण प्रस्तृत करना अपेक्षित होगा।
- 2. तदनुसार, टी.आर.क्यू. योजना के अंतर्गत यूरोपीय संघ (ई.यू.) को रॉ कैन चीनी के निर्यात के लिए **5841** MT के कोटा के आवंटन के लिए निर्यातकों से निविदा आमंत्रित

की जाती है। टी.आर.क्यू. योजना के अंतर्गत यूरोपीय संघ (ई.यू.) को रॉ कैन चीनी के निर्यात के लिए कोटा आवेदन/प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं:

2.1 अनुलग्नक । में प्रारूप के अनुसार, कोटा प्राप्त करने के लिए निविदा, एपीडा नई दिल्ली में 24 अक्टूबर 2024 को (दोपहर 2.00 बजे तक) प्राप्त की जाएगी और उसी दिन दोपहर 2.30 बजे उन आवेदकों की उपस्थित में जो उपस्थित होना चाहते हैं खोली जाएगी। निविदा को मुहरबंद लिफाफे में, "टीआरक्यू योजना के अंतर्गत यूरोपीय संघ (ई.यू.) को रॉ चीनी के निर्यात के लिए कोटा प्राप्त करने के लिए निविदा " के रूप में लिखा जाएं और निम्न को संबोधित किया जाए।

श्रीमती विनीता सुधांशु, महाप्रबंधक, एपीडा, तीसरी मंजिल, एनसीय्आई बिल्डिंग, 3, सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली-110016

- 2.2 संवीक्षा के बाद निर्णय लिया जाएगा और पंजीकरण-सह-आवंटन-प्रमाणपत्र (आरसीएसी) 5 कार्य दिवसों के भीतर जारी किया जाएगा। आरसीएसी जारी करने की सुविधा के लिए , बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे आयातक के साथ किए गए प्रोफार्मा चालान/अनुबंध की प्रति संलग्न करें।
- 2.3 अन्लग्नक-1 के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्त्त किए जाएं:
- (क) आवेदित एफओबी मूल्य पर कोटा मात्रा के मूल्य के 5% के बराबर राशि के लिए भारतीय रुपये में अनुलग्नक II के अनुसार प्रारूप में बैंक गारंटी। बैंक गारंटी 31 दिसंबर, 2025 तक वैध होगी और दावा तिथि 31 दिसंबर, 2026 तक होगी।
- (ख) आयातक के साथ किए गए प्रोफार्मा चालान/अनुबंध की प्रति।
- (ग) प्रसंस्करण शुल्क जमा करने की रसीद।
- 2.4 आवेदित मात्रा के लिए 11.80 रुपये प्रति मीट्रिक टन (जी.एस.टी. सिहत) के प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान आवेदकों द्वारा किया जाएगा। यह राशि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एपीडा बैंक खाते में ऑनलाइन जमा की जाएगी:
  - i. खाता संख्या -57022180304
  - ii. आईएफएससी- SBIN0007407
  - iii. बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक
- 2.5 उपलब्ध कोटा मात्रा को प्रति मीट्रिक टन अमरीकी डालर में निर्यात के लिए उच्चतम एफ.ओ.बी. मूल्य के आधार पर आवेदकों को आवंटित किया जाएगा। आवेदक द्वारा उच्चतम एफओबी मूल्य कोट करते समय आवेदन की गई मात्रा उपलब्ध कोटा से कम होने की स्थिति

में, शेष राशि मूल्य कोटेशन के क्रम में अन्य आवेदकों को आवंटित की जाएगी। यदि एक से अधिक आवेदक एक ही एफ.ओ.बी. मूल्य जमा करते हैं , तो उपलब्ध कोटा का आवंटन आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।

- 2.6 एक बार निविदा जमा होने और पंजीकरण-सह-आवंटन-प्रमाणपत्र ( आर.सी.ए.सी.) जारी होने के बाद निर्यातक / आयातक के नाम और एफ.ओ.बी. मूल्य में परिवर्तन के लिए किसी भी अन्रोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 2.7 आर.सी.ए.सी. को 30 सितंबर , 2025 तक वैधता अविध के साथ जारी किया जाएगा। आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि 30 सितंबर , 2025 से पहले कस्टम क्लीयरेंस के लिए खेप यूरोपीय संघ (ई.यू.) पोर्ट पर पहुंच जाए।
- 2.8 निर्यातक को अनुलग्नक "III" में प्रारूप के अनुसार जारी किए गए पूर्ण मात्रा के संबंध में विशिष्ट आर.सी.ए.सी. की वैधता अविध की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर प्रत्येक आर.सी.ए.सी. के एवज में वास्तविक निर्यात विवरण को प्रस्तुत करना होगा। आर.सी.ए.सी. की पूर्ण मात्रा के निर्यात को पूरा करने में असमर्थता पर एपीडा द्वारा बैंक गारंटी लागू करने के रूप में जुर्माना लगाया जा सकता है।

\*\*\*

## टी.आर.क्यू. के अंतर्गत यूरोपीय संघ (ई.यू.) को चीनी के निर्यात हेत् कोटा प्राप्त करने के लिए निविदा

1.	सीपीपी पोर्टल निविदा आईडी	
2.	आवेदक का नाम/पता	
3.	टेलीफोन/ई-मेल आईडी	
4.	एपीडा/एफ.आई.ई.ओ. पंजीकरण सं.	
5.	मीट्रिक टन में आवेदित मात्रा	
6.	यू.एस.डी./मीट्रिक टन में एफ.ओ.बी. मूल्य	
7.	कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी	
	(आवेदित मात्रा के कुल एफ.ओ.बी. मूल्य का	
	5%)	
8.	बैंक गारंटी की तिथि एवं वैधता	
	(निविदा तिथि से एक वर्ष के लिए)	
9.	आयातक का नाम एवं पता	
10.	भारत में शिपमेंट पोर्ट	
11.	गंतव्य पोर्ट	

### नोट: बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सीपीपी पोर्टल टंडर आईडी का उल्लेख करें।

#### संलग्नक:

- (i) अनुलग्नक ॥ के अनुसार बैंक गारंटी,
- (ii) आयातक के साथ किए गए प्रोफार्मा चालान/अनुबंध की प्रति,
- (iii) प्रसंस्करण शुल्क की रसीद

#### घोषणा:

- (i) मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे निविदा में दी गई सभी जानकारी हमारे ज्ञान के अनुसार सही है।
- (ii) मैं/हम एपीडा द्वारा जारी आरसीएसी की वैधता के भीतर हमें आवंटित मात्रा का निर्यात करने का वचन देते हैं।
- (iii) मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि हम यूरोपीय संघ (ई.यू.) को रॉ कैन चीनी के संबंध में गुणवत्ता की आवश्यकताओं से अवगत हैं, जिसमें हमने टी.आर.क्यू. के अंतर्गत यूरोपीय संघ (ई.यू.) को निर्यात करने की योजना बनाई है और हमारी और से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई अवमानक उत्पाद हमारे द्वारा निर्यात नहीं किया जायेगा।
- (iv) मैं/हम जानते हैं कि वैधता अविध के भीतर आर.सी.ए.सी. के अनुसार एपीडा द्वारा आवंटित कोटा मात्रा की शिपमेंट न होने की स्थिति में, एपीडा को हमारे द्वारा प्रस्तुत कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी को जब्त करने का अधिकार होगा।

### हस्ताक्षर -

नाम और पदनाम-

निर्यातक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

#### Subject: Bank Guarantee for Export of Sugar to EU under TRQ

WHEREAS the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority mentioned as APEDA hereinafter, through its Tender Notice No. datedhas invited Tenders from the exporters for obtaining quota for export of sugar to EU under TRQ as per the conditions prescribed in the said Tender Notice, which terms and conditions we are fully aware and in know of, and whereas M/s
<b>AND WHEREAS</b> the exporter is required to furnish along with the Tender, Performance Bank Guarantee equivalent to 5% of the total FOB value of the quantity applied for in Indian Rupees in terms of the above said Tender Notice.
<b>AND WHEREAS</b> the exporter is required to export of Sugar within period of the validity given in the Registration-cum-Allocation Certificate (RCAC) to be issued by APEDA.
1. We (name and address of a Scheduled Indian Bank) hereinafter called "THE BANK" do hereby undertake and promise to pay the APEDA New Delhi

- 1. We (name and address of a Scheduled Indian Bank) hereinafter called "THE BANK" do hereby undertake and promise to pay the APEDA, New Delhi an amount of Rs......(Rupees.......) in the event of failure of the exporter (i) to fulfill any condition of the RCAC or (ii) to fulfill the obligation to export the quantity allocated to M/s...... within the stipulated time or according to the prescribed terms and conditions whether the shipment is in part or full.

4. We, the					
5. We,	amount payable PEDA we shall Agricultural and ICUI Building, 3				
6. We shall be relieved of and discharged from all liabilities under this guarantee only on the exporter having fulfilled all his obligations and exported the entire quantity of RCAC by the last day of shipment as prescribed by the APEDA in this particular case and submitted satisfactory proof of shipment and realization of export value by the Bank to the full satisfaction of the APEDA in this regard within the prescribed time whose decision in this connection shall be final and binding.					
7. This guarantee will not be revoked by any change in the constitute and/or the exporter.	tion of the Bank				
Dated at thisday of	2024.				
In presence of					
(Signature of	the Guarantor)				
Signature of Applicant(s): (to be signed by the Proprietor/Managing Director/ Authorized Signato Partner of the Firm showing his Designation as such)	ry/Managing				
Date:					
Seal					

# टी.आर.क्यू. के अंतर्गत यूरोपीय संघ (ई.यू.) को चीनी के निर्यात के विवरण की प्रस्तुति का प्रारूप

	$\sim$ $^{\circ}$			
1	नियातक	ਨਹ	नाम	•
	10191(19)	971	01101	_

- 2. एपीडा/एफ.आई.ई.ओ. पंजीकरण सं. :
- 3. आर.सी.ए.सी. सं. और तिथि :

मीट्रिक टन में मात्रा	कन्साइनी/ आयातक का	भार (लेडिंग) बिल की	एफ.ओ.बी. मूल्य	शिपमेंट पोर्ट	गंतव्य पोर्ट
	नाम	तिथि	ू यूएसडी		

प्राधिकारी हस्त	ाक्षरी:						
नाम एवं पद:							
तिथि:							
ICIIM.							
स्थान:							